"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38-सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई 2006—आषाढ़ 30, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-7-2006 जिसके द्वारा श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से. (1992) को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, संस्कृति एवं लोक निर्माण विभाग पदस्थ किया गया है, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री सूर्यवंशी को लोक निर्माण विभाग के प्रभार से मुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से. (1992) विशेष सचिव, जनसंपर्क विभाग (स्वतंत्र प्रभार) एवं संचालक, जनसंपर्क तथा संचालक, महिला एवं बाल विकास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उक्त कार्य के साथ-साथ पदेन विशेष सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एल. एन. सूर्यवंशी, भा.प्र.से. (1992) विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, वन एवं संस्कृति विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, संस्कृति विभाग एवं लोक निर्माण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री टी. सी. महावर, रा. प्र. से. (1984) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणू जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2006

क्रमांक-1273/23/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-654/23/32/2006 दिनांक 20-3-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डूण्डा	170/1	0.529 हे.	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
		172/2	0.374 हे.		
		171/6	0.202 हे.		
		172/1	0.375 हे.		
		173/3	0.097 हे.		
		173/4	0.146 हे.		
		173/5	0.138 हे.		
		173/6	0.155 हे.		
		173/8	0.190 हे.		
		173/9	0.631 हे.		
		173/10	0.202 हे.		
		171/7	0.073 हे.		
		योग	3.112 हे.		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2006

क्रमांक-1320/1132/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक 1111/32/2006 दिनांक 27-5-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना रायपुर (उपांतरित) 2011 के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तेलीबांधा प. ह. नं. 113	502/1	0.186	आवासीय	विशेषीकृत वाणिज्यक (प्रेस)
		योग	0.186		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक 1364/1022/32/06.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उप धारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-1706/1022/32/2006 दिनांक 27-5-2006 द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना अंगीकृत में भू-उपयोग का विवरण	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पुरैना प.ह.नं. 113	331/1 का भाग, 331/2, 425, 424, 423, 420, 418, 454, 452, 451, 450 के भाग, 447, 446/1, 446/2, 452/1.	9.650	कृषि	आवासीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	पुरैना प. ह. नं. 113	439 का भाग	0.368	कृषि	मार्ग
		योग	10.018		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (उपांतरित) 2011 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना (उपांतरित) का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक 1385/1274/32/2002.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा अधिसूचना क्र. 10/स/आ.प./2002 रायपुर दिनांक 8 जनवरी 2002 में निम्नांकित संशोधन करता है :—

1. उक्त अधिसूचना के द्वारा गठित विशेष क्षेत्र को "राजधानी क्षेत्र" के स्थान पर "नया रायपुर" के नाम से जाना जायेगा.

2. उक्त विशेष क्षेत्र हेतु गठित "राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण" को अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत "नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी" के नाम से जाना जायेगा.

Raipur, the 7th July 2006.

No. 1385/1274/32/2002.— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 64 and sub-section (1) of Section 65 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) the State Government hereby makes the following amendments in the Notification No. 10/स/आ.प./2002 dated 8th January 2002 :—

1. That the special area constituted by the said notification shall be known as "Naya Raipur" in place of "Capital Area".

2. That the "Capital Area Development Authority" constituted for such special area shall be known as "Naya Raipur Development Authority" under sub-section (1) of Section 65 of the Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2006

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 9 01/दो/गृह/06.—सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा निचले विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 20 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया प्रथम प्रश्नपत्र (पुस्तकों सहित), द्वितीय प्रश्नपत्र दाण्डिक मामलें में आदेश/निर्णय का लिखा जाना" में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र ग्वालियर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	श्री आर. प्रसन्ना	सहायक कलेक्टर	उच्चस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2006

क्रमांक 3/ अ 82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पंडरापथरा	0.170	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	पंडरापथरा मझवानी कोटा सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन प्र.क्र. 14 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	तिल्दा	मोहगांव प. ह. नं. 16	0.098	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	केशली व्यपवर्तन निर्मित योजना.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक क/वा./भू-अर्जन/प्र.क्र. 8 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	बोईरडीह प. ह. नं. 6	3.318	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	तिल्दा बांधा जलाशय योजना हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक/क/वा. भू. अ./अ. वि. अ./ प्र. क्र. 16-अ 82 वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	आरंग प. ह. नं. 60/42	0.109	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव व्यपवर्तन योजना के मेन केनाल के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	नाचनपाली प.ह.नं. 10	1.218	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लीलार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2006

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ 82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	प्रधानपुर प.ह.नं. 10	1.715	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लीलार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	लेन्ध्रा प.ह.नं. 10	2.159	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	लीलार व्यपवर्तन योजना अंतर्गत शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	आमाकोनी छोटे प.ह.नं. 38	1.447	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झोरझोरा जलाशय नहर कार्य अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 25 मई 2006

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	आमाकोनी बड़े प.ह.नं. 38	0.556	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	झोरझोरा जलाशय नहर कार्य अंतर्गत नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक 164/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.786 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/3	0.153
	4, 9, 17, 18/1-2, 19	0.173
	5	0.016
	12/2	0.093
	10/2, 11	0.040
	13, 15	0.097
	14/2	0.028
	16/2	0.081
	39, 40	0.073
	20	0.032
योग	10	0.786

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बरपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक 165/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघनसरा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1069	0.040
योग	1	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघनसरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक 166/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सिंघनरा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1001	0.154
योग	1	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोहाडेरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 7 जुलाई 2006

क्रमांक 167/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-जाजंग, प. ह. नं. 05

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.012 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1969	0.012
योग	1	0.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सकरेली माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक 168/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सोंठी, प. ह. नं. 06

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	232	0.016
	233/3	0.012
	692	0.065
योग	3	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सक्ती वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 5 जुलाई 2006

क्रमांक 169/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पुटेकेला, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	609/7	0.053
योग	1	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किरारी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, मु. सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मधुबन, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.276 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
55/1	0.079
75/5	0.004
98/3	0.012
75/6	0.105
90/2	0.101
98/1	0.004
78/1	0.033
102/4	0.020
78/2	0.034
102/3	0.016
76/1	0.016
79/1	0.052
80	0.041
105/4 क, 105/4 ख, 105/5	0.108
86	0.016
87/2	0.057
177	0.085
94/1	0.085
96/1 घ	0.097
98/2	0.045
98/4	0.040
98/6	0.008
104	0.008
102/2	0.018
102/5	0.013
103	0.016
175	0.187
164/2 ख	0.077
167	0.101
174/1 क	0.069
179/2 ख	0.040
174/1 ख	0.085
179/3	0.032

(1)	(2)
181	0.144
180, 184	0.072
165/2	0.020
166	0.024
169/325	0.097
132	0.016
102/1	0.021
78/1	0.081
97	0.008
योग	2.276

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़वन, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.185 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.137
67	0.077
69	0.020
40/3	0.108
41	0.157
117, 118	0.113
39	0.028
37	0.016
36/4	0.033
38/1	0.020
42/3	0.093
42/6	0.081
184/4	0.061
53/8	0.095
53/3	0.065
53/9	0.065
183/1 ख, 183/2	0.125
184/5	0.057
65/1	0.012
91/2	0.053
94	0.012
64/4 ख	0.041
66/2	0.020
68	0.012
90/2 क	0.016
92/1	0.020
90/2 क	0.016
92/1	0.020
92/2	0.028
93/1	0.028
119/4	0.125
119/1	0.105
119/2	0.081
183/1 ङ	0.041
43	0.101
182	0.012
83	0.061
116	0.093
110	0.202
66/1	0.020
95/1	0.008
योग	2.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-तिलाईमुड़ा, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
220, 221/5	0.020
220, 221/6	0.093
264/2 ग	0.061
264/2 ख	0.057
269/1	0.004
270/1	0.024
271/2	0.105
306	0.041
272	0.244
220, 221/1	0.053
316	0.081
318	0.137
317	0.133
319	0.081
222	0.040
307	0.093
योग	1.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम- तालदेवरी, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.378 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
24/2	0.016
54/4	0.040
27, 28/1	0.045
27, 28/2	0.149
27, 28/3	0.081
54/1	0.045
100/1	0.028
54/2	0.024
54/4	0.016
54/6	0.40
55/1	0.020
55/3	0.129
55/2	0.109
56/5	0.008
56/7	0.032
56/8	0.053
56/9	0.189
100/2 क	0.040
56/10	0.004
56/8	0.121
56/12	0.008
57/6	0.004
57/7	0.057
88/1	0.008

(1)	(2)
88/2	0.010
95, 96/2	0.057
100/2 ख	0.045
योग	1.378

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भोथली, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.794 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
24/1	0.086
24/2	0.004
24/5	0.008
24/4	0.049
26/2	0.004
27/6	0.049
27/5	0.073
27/3	0.073
106	0.033
27/4	0.049
27/2	0.113
52/1	0.004
103/1	0.081
82	0.153
53/1, 53/2	0.129
105	0.033
81/1	0.137
56/1	0.049
55/1	0.73
55/2	0.065
78/3	0.245
58	0.032
59	0.165
61/1, 104/2	0.189
79	0.129
81/3	0.241
60	0.012
61/4	0.189
104/1	0.173
81/2	0.081
103/2	0.073
198	0.665
योग	2.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिखमपुरा, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.696 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/1	0.077
5/3	0.093
7	0.097
11/1	0.111
11/2	0.097
11/3	0.111
12/4	0.032
12/3	0.078
योग	0.696

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छर्रा, प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283, 284/5	0.133
284/4	0.097
284/3 क	0.069
361/1	0.089
362/1	0.089
364	0.175
363/4	0.008
282	0.004
365/3	0.113
366/1	0.145
366/2	0.057
363/5	0.008
367/3	0.206
367/4	0.173
604/2	0.202
616	0.173
619	0.121
620/2	0.145
621/1	0.089
622/1	0.024
622/2	0.061
622/3	0.057
योग	2.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के मुख्य नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-मधुबन, प.ह.नं. 06
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.590 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
107/5	0.057
109/4	0.041
107/8	0.053
109/6	0.020
107/9	0.024
109/2	0.016
107/10	0.024
109/1	0.012
109/3	0.016
109/5	0.024
110	0.183
113	0.120
योग	0.590

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-मधुबन जलाशय के स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894)की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-रायगढ़
 (ख) तहसील-सारंगढ़
 (ग) नगर/ग्राम-अमलीडीपा, प.ह.नं. 27
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.660 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
446/1	0.328
446/2	0.332
योग	0.660

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-अमलीडीपा जलाशय के स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भद्रीउड़ान, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
50	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-अमलीडीपा जलाशय के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भीमसेनडीह, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.881 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
216, 217, 218	0.101
236/1, 219	0.291
216, 217, 218, 236/2	0.697
220	0.091
223	0.231
224	0.170
237	0.138
238	0.045
225	0.105
242	0.012
योग	1.881

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है-अमलीडीपा जलाशय के स्पील चैनल हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सारंगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 28 जून 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-छोटे अतरमुड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2	0.081
योग		0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-रायगढ़ से छोटे अतरमुड़ा मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बलौदाबाजार

(ग) नगर/ग्राम-करदा, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.098 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	282	0.077
	1407/1	0.021
योग	2	0.098

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-करदा व्यपवर्तन निर्मित योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदा-बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 5154/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-राजनांदगांव

(ग) नगर/ग्राम-बागद्वार, प.ह.नं. 82

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.548 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
471	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
435	0.004	310/2	0.545
472	0.044	289	0.040
456/1	0.597	290	0.112
470	0.600	556/1	0.202
462	0.413	291	0.121
537/2	0.494	292	0.180
556/6	0.182	293	0.121
428/2	0.089	294/1	0.049
403/1	0.465	252/1	0.121
253/1	0.008	233/1	0.084
434/5	0.214	251	0.057
451/2	0.028	235	0.012
452/2	0.049	233/4	0.087
453	0.089	306	0.097
468/2	0.140	429/1	0.064
434/1	0.028	304/1	0.060
434/9	0.008	307/2	0.073
434/10	0.060	310/4	0.185
434/11	0.061	553/1	0.240
434/2	0.012	550	0.145
434/4	0.160	543/4	0.016
415/5	0.008	543/3	0.053
415/7	0.246	543/2	0.298
415/3	0.072	543/6	0.097
415/9	0.200	542	0.008
149/1	0.400	427/1	0.162
276/1	0.331	426/3	0.049
276/5	0.049	545/1	0.132
276/3	0.052	426/1	0.008
276/6	0.133	545/3	0.101
276/7	0.138	426/2	0.057
276/8	0.131	544/1	0.012
276/2	0.096	417/1	0.200
284/1	0.258	461	0.056
284/2	0.020	547	0.140
285	0.081	537/1	0.016
418	0.056	537/5	0.040
454	0.105	536	0.076
557	0.494	429/2	0.032
286	0.040	427/4	0.170
428/3	0.109	427/2	0.041
556/2	0.513	427/3	0.008

(1)	(2)
417/2	0.232
460/3	0.121
460/2	0.115
460/1	0.265
463/2	0.144
467	0.024
455	0.008
537/6	0.008
424/1	0.008
535/1	0.008
538/2	0.008
304/2	0.032
254/2	0.093
460/4	0.097
456/2	0.008
537/3	0.140
458/4	0.040
458/5	0.120
543/5	0.081
427/5	0.036
304/3	0.012
463/1	0.137
419/2	0.004
545/2	0.160
योग 109	13.548

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 5155/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम- आतरगांव, प.ह.नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.922 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
116	0.099
335	0.028
96	0.332
95	0.283
103	0.249
374/1	0.253
347/3	0.019
139	0.064
261	0.051
138	0.181
134/3	0.330
134/1	0.103
134/6	0.060
400	0.131
398/2	0.225
395/2	0.243
267/2	0.235
370	0.135
323	0.019
333	0.024
348/1	0.024
318	0.008
307	0.056
302/2	0.010
306	0.024
305	0.027
302/1	0.015
304	0.020
303	0.020
346	0.091
334	0.045
342	0.032
308	0.032

(1)	(2)
319	0.016
264	0.360
262/1	0.139
260	0.210
263	0.108
344	0.072
267/1	0.171
341/2	0.016
286/1	0.743
340/2	0.016
372/1	0.089
340/1	0.020
286/2	0.592
341/1	0.032
339	0.016
345	0.431
390/1	0.392
187/3	0.008
389/1	0.446
390/3	0.131
390/2	0.360
390/6	0.142
434/1	0.326
99	0.169
104/1	0.116
104/2	0.019
140/1	0.220
140/2	0.315
136/2	0.180
137	0.062
135/2	0.004
270/1 क	0.060
270/2	0.228
270/3	0.177
372/2	0.064
योग 68	9.922

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 5156/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पाण्डुका, प.ह.नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.252 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.020
5	0.121
6	0.230
96	0.544
10/1	0.128
10/3	0.092
33/2	0.097
35/2	0.028
35/1	0.247
38	0.154
39/2	0.235
42	0.120
98	0.279
33/1	0.073
184/1	0.032
184/7, 184/8	0.214
9/2	0.178
41/1	0.108
10/2	0.113
44	0.012
43	0.069
189	0.182
195	0.272
4	0.121
41/2	0.120

(1)	(2)
193	0.308
188/1	0.152
188/2	0.168
169, 170 (3)	0.120
170, 169 (5)	0.048
8/2	0.172
8/4	0.104
169, 170 (1)	0.073
33/3	0.040
10/6	0.044
184/4	0.064
41/3	0.170
योग 37	5.252

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है--घुमरिया नाला बैराज के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), राजनांदगांव

राजनांदगांव, दिनांक 22 जून 2006

क्रमांक/1971/ख.लि. 2/2006.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्ठी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदारों का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री के. पी. सिंह आ. श्री बाबूलाल निवासी-हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, पद्मनाभपुर, दुर्ग.	जोरातराई	राजनांदगांव	164 भाग	1.81	चूना पत्थर	शासकीय भूमि	पट्टा अवधि समाप्त होने के कारण.

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर.

(1)	(2)	(3)	(4)
		खण्ड (ङ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र की सहकारी विपणन सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति द्वारा अपना प्रतिनिधि मण्डी समिति के लिये निर्वाचित किया जाना है.	श्री लक्ष्मण झाड़ी, प्रबंधक बीजापुर (सदस्य)
		खण्ड (च) के अंतर्गत राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी, मण्डी समिति के सदस्य के रूप आपके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री पी. के. नाग, ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी बीजापुर (सदस्य)
		खंण्ड (छ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले तुलैइयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जो मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करता हो, मण्डी समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री जालंधर हम्माल, मंडी समिति बीजापुर (सदस्य)
		खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि या तो बैंक का अध्यक्ष या उसकी प्रबंध समिति का सदस्य बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री आर. पी. सिंह, प्रबंधक शाखा बीजापुर (सदस्य)
		खण्ड (झ) के अंतर्गत जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का सदस्य होगा, बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री आर. तामड़ी, प्रबंधक भूमि विकास बैंक, बीजापुर (सदस्य)
		खण्ड (ञ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि, जिला पंचायत "के" अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	माननीय श्री महेश गांगड़ा नगर पंचायत सदस्य, बीजापुर (सदस्य)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 28 जून 2006

क्रमांक/91/मण्डी निर्वा./म.स.ना.निर्दे./06.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा धारा 11(1) के अनुसार की गई कार्यवाही के पश्चात् निम्नांकित सारणी के कॉलम क्रमांक 2 में दर्शित मंडी समिति के लिए कॉलम क्रमांक 3 में दर्शित धारा 11(1) अनुसार कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित सदस्यों के नाम निर्वाचित एवं निर्दिष्ट किये गये हैं को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करता हूं.

सारणी

क्र. (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	विवरण जिसके अंतर्गत नाम निर्दिष्ट किया जाना है धारा 11 (1) (3)	निर्वाचित/निर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पद (4)
1.	कोंटा मुख्यालय सुकमा	खण्ड (घ) के अंतर्गत राज्य की विधानसभा तथा लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो किसी नगरपालिका निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है,	1. माननीय श्री बलीराम कश्यप (लोक सभा सदस्य) 2. माननीय श्री लखमाराम कवासी (विधायक) कोंटा (सुकमा)
		परन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक से अधिक मण्डी समितियां विद्यमान है, वहां ऐसा सदस्य इस संबंध में अपना विकल्प देगा कि वह ऐसी मण्डी समितियों में किस मण्डी समिति में सदस्य होना चाहता है.	
		परन्तु यह और कि राज्य के विधानसभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की अन्य समस्त मण्डी समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य होगा.	
		खण्ड (ङ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र की सहकारी विपणन सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति द्वारा अपना प्रतिनिधि मण्डी समिति के लिये निर्वाचित किया जाना है.	समिति भंग होने से कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया गया.
		खण्ड (च) के अंतर्गत राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी, मण्डी समिति के सदस्य के रूप आपके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री चन्द्रभान रघुवंशी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, सुकमा.
		खण्ड (छ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले तुलैइयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जो मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करता हो, मण्डी समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	
		खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि या तो बैंक का अध्यक्ष या उसकी प्रबंध समिति का सदस्य बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें दन्तेवाड़ा.
		खण्ड (झ) के अंतर्गत जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का सदस्य होगा, बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	कोई नाम प्रस्तावित नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)
		खण्ड (ञ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्रीमती मौसम मुत्ती

दन्तेवाड़ा, दिनांक 28 जून 2006

क्रमांक/92/मण्डी निर्वा./म.स.ना.निर्दे./06.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11(5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं के. आर. पिस्दा, कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा धारा 11(1) के अनुसार की गई कार्यवाही के पश्चात् निम्नांकित सारणी के कॉलम क्रमांक 2 में दर्शित मंडी समिति के लिए कॉलम क्रमांक 3 में दर्शित धारा 11(1) अनुसार कॉलम क्रमांक 4 में दर्शित सदस्यों के नाम निर्वाचित एवं निर्दिष्ट किये गये हैं को सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित करता हूं.

सारणी

क्र.	मण्डी समिति का नाम	विवरण जिसके अंतर्गत नाम निर्दिष्ट किया जाना है धारा 11 (1)	निर्वाचित/निर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गीदम	खण्ड (घ) के अंतर्गत राज्य की विधानसभा तथा लोकसभा के ऐसे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो किसी नगरपालिका निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है, परन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहां एक से अधिक मण्डी समितियां विद्यमान है, वहां ऐसा सदस्य इस संबंध में अपना विकल्प देगा कि वह ऐसी मण्डी समितियों में किस मण्डी समिति में सदस्य होना चाहता है. परन्तु यह और कि राज्य के विधानसभा का सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की अन्य समस्त मण्डी समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्य होगा.	1. माननीय श्री बलीराम कश्यप (लोक सभा सदस्य) 2. माननीय श्री लच्छुराम कश्यप (विधान सभा सदस्य).
		खण्ड (ङ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र की सहकारी विपणन सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति द्वारा अपना प्रतिनिधि मण्डी समिति के लिये निर्वाचित किया जाना है.	प्रबंध कारिणी समिति भंग होने से कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया गया.
		खण्ड (च) के अंतर्गत राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी, मण्डी समिति के सदस्य के रूप आपके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री कैलाश नारायण शर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.

(1)	(2)	(3)	(4)
		खण्ड (छ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में काम करने वाले तुलैइयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जो मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करता हो, मण्डी समिति के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री दिनेश/कालु निवासी कुआकोण्डा हमाल.
		खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि या तो बैंक का अध्यक्ष या उसकी प्रबंध समिति का सदस्य बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं दन्तेवाड़ा.
		खण्ड (झ) के अंतर्गत जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का सदस्य होगा, बैंक के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्री एम. एस. ध्रुव, उपसंचालक कृषि, जगदलपुर.
		खण्ड (ञ) के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि, जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाना है.	श्रीमती विशाखा कर्मा जनपद सदस्य, दन्तेवाड़ा.

के. आर. पिस्दा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

दुर्ग, दिनांक 26 जून 2006

क्रमांक 1108/मण्ड़ी निर्वा./अधि.-2005-2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी समिति निर्वाचन नियम 1997 के नियम 84 (5) (क) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग, 21-बेमेतरा, एवं 22 बालोद के लिए समिति का उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए है, जो निम्नानुसार है :—

अनु. क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम एवं पता (3)
1.	20 दुर्ग मंडी समिति	श्री प्रशान्त कुमार वर्मा ग्राम फुण्डा, तह. धमधा, जिला दुर्ग.
2.	21 बेमेतरा मंडी समिति	श्री भूपकुमार तहसील बेमेतरा जिला दुर्ग.

(1)	(2)	(3)
3.	22-बालोद मण्डी समिति	श्री भोलाराम ग्राम दुधली, तहसील डौंडीलोहारा जिला दुर्ग.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 1110/मण्डी निर्वा./अधि.-2005-2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग, 21-बेमेतरा, एवं 22-बालोद के अंतर्गत तुलैइयों तथा हमालों का मंडी सदस्यों के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

अनु. क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नाम निर्देशित सदस्य का नाम (3)
1.	20-दुर्ग मंडी समिति	श्री पुरूषोत्तम मांडले
2.	21-बेमेतरा मंडी समिति	श्री जगदीश राम साहू
3.	22-बालोद मण्डी समिति	श्री डेरहाराम साहू

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 1112/मण्डी निर्वा./अधि.-2005-2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (ञ) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग, 21-बेमेतरा, एवं 22-बालोद के अंतर्गत जिला भूमि विकास बैंक से मंडी सदस्यों के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

अनु. क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नाम निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता (3)
1.	20 दुर्ग मंडी समिति	श्री यशवंत हरमुख ग्राम कोलिहापुरी, तह. व जिला दुर्ग.
2.	21-बेमेतरा मंडी समिति	श्री गणेश राम गोसेवक मु. पो. बेरला, तह. बेरला, जिला दुर्ग.
3.	22-बालोद मण्डी समिति	श्री देवधर सिंह देवांगन ग्राम पेंडरवानी, तह. गुरूर, जिला दुर्ग.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 1114/मण्डी निर्वा./अधि.-2005-2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (ङ) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग, 21-बेमेतरा, एवं 22-बालोद के अंतर्गत सहकारी विपणन सोसायटी से मंडी सदस्यों के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

अनु. क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नाम निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता (3)
1.	20-दुर्ग मंडी समिति	श्री वासुदेव चन्द्राकर तह. वह जिला दुर्ग.
2.	21-बेमेतरा मंडी समिति	श्री सत्यनारायण मिश्रा ग्राम तेन्दा, पो. ओड़िया, तह. बेमेतरा जिला दुर्ग.
3.	22- बालोद मण्डी समिति	श्री मोहनलाल पटेल संचालक/अध्यक्ष, बालोद सहकारी विपणन समिति लिमि. बालोद जिला दुर्ग.

दुर्ग, दिनांक 12 जुलाई 2006

क्रमांक 1116/मण्डी निर्वा./अधि.-2005-2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 (1) के खण्ड (च) के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति क्षेत्र 20-दुर्ग, 21-बेमेतरा, एवं 22-बालोद के अंतर्गत राज्य सरकार के कृषि विभाग से मंडी सदस्यों के लिए नाम निर्दिष्ट हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं :—

अनु. क्र. (1)	मंडी का नाम (2)	नाम निर्देशित सदस्य का नाम एवं पता (3)
1.	20-दुर्ग मंडी समिति	उप संचालक, कृषि दुर्ग, जिला दुर्ग
2.	21 बेमेतरा मंडी समिति	अनुविभागीय कृषि अधिकारी बेमेतरा, जिला दुर्ग
3.	22 बालोद मण्डी समिति	अनुविभागीय कृषि अधिकारी बालोद, जिला दुर्ग

सुब्रत साहू,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ (छ. ग.)

रायगढ़, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक/559/नग्रानि./2006.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन 1973) की धारा-15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायगढ़ निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना प्रति उक्त अधिनियम की धारा-15 (4) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर दिया गया है.

अनुसूची

1. **उत्तर में** : ग्राम चिराईपानी, खैरपुर, किसनपुर, उरदना, भेलवा टिकरा एवं रेगड़ा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
2. **पूर्व में** : ग्राम रेगड़ा, बोईरदादर, गोवर्धनपुर, छोटे अतरमुड़ा, बड़े अतरमुड़ा, गुडगहन एवं दर्रामुड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
3. **दक्षिण में** : ग्राम दर्रामुड़ा, गढ़उमरिया, डूमरपानी, कुंजेडबरी एवं कोड़ातराई, ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
4. **पश्चिम में** : ग्राम कोड़ातराई, पटेलपाली, छूहीपाली, ननसिया, केनापाली, जोरापाली, बरमुड़ा, कोसमपाली, कोकड़ीतराई एवं चिराईपानी, ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल : सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ (छ. ग.)

Raigarh, the 2nd May 2006

No. 559/N. G. N./06.— It is published for general information on the public that is pursuance of sub-section (3) of section-15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam-1973 (23 of 1973) an existing land use map of the planning area of "Raigarh Town" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning, Raigarh (C. G.) Copy of this notice is being sent for publication in the Chhattisgarh Gazette under sub-section (4) of section- 15 of the said Act. And will be a conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

North . Village-Chiripani, Khairpur, Krishnapur, Urdana, Bhelwatikara & upto Northern Limit of village Regda.

East . Village-Regda, Boirdadar, Gowardhanpur, Chote Atarmuda, Bade Atarmuda, Gudgahan & upto Eastern limit of village-Darramuda.

South - Village-Darramuda, Garhumariya, Dumarpali, Kunjedabri & upto Southern limit of village Kondatarai.

West - Village-Kondatarai, Patelpali, Chhuhipali, Nansia, Kenapali, Jorapali, Barmuda, Kosampali, Kokaditarai & upto Western limit of village Chiraipani.

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours, except holidays.

Place of Inspection : Assistant Director, Town and Country Planning Raigarh (C. G.)

के. एस. प्रधान,
सहायक संचालक.